20/9/19 पत्रावली पेश हुई। [illegible] के प्रतिनिधि [illegible] वादी स्वयं भी [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] (दिनांक [illegible])

गोपालसिंह

[illegible]

25/6/19 पत्रावली पेश हुई/वकील [illegible] उपस्थित है। P.O. Sb. [illegible] कार्य में व्यस्त/[illegible] कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/12/19 को पेश हो।

5/12/19 वादी पेश हुए/वकील [illegible] उपस्थित है। P.O. Sb. [illegible] कार्य में व्यस्त/[illegible] कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/1/20 को पेश हो।

30/12/19 [illegible] पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी स्वयं के राजीनामा [illegible] मिसल तलबी [illegible] में ली गई। उपस्थित वकील वादी व वादी स्वयं के [illegible] विवाद निपटारा प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है। वादी वाद आगे नहीं चलाना चाहते हैं अतः वादी वाद विड्रा किया जावे। वकील वादी व वादी को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का भी अवलोकन किया गया। वादी के विवेक पर वकील वादी का विवेक स्वीकार किया जाकर [illegible] विड्रा किया जाता है। पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

गोपालसिंह

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद, मुख्यालय सीकर (राज.)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2020.01.06 14:43:30 IST
Reason: SelfAttested